

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/23

जयपुर, दिनांक: 01.09.2023

आदेश

निम्न सहायक निदेशक अभियोजनगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि0वि0
1.	श्री चन्द्रभान जोशी	न्यायालय एसीजेएम 1, छबड़ा, जिला बारां	सहायक निदेशक अभियोजन, राजसमन्द	पदोन्नति पर श्री शर्मा के स्थान पर
2.	श्री चतुर्भुज शर्मा	सहायक निदेशक अभियोजन, राजसमन्द	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी 3, जयपुर महानगर, जयपुर	श्री महमूद अली के स्थान पर
3.	श्री अशोक कुमार भारद्वाज	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, अलवर	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी 2, जयपुर महानगर, जयपुर	रिक्त पद पर
4.	श्री सैयद महमूद अली	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी 3, जयपुर महानगर	उप निदेशक अभियोजन, द्वितीय जयपुर महानगर, जयपुर (पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर
5.	श्री आवेश सिंह	अपर लोक अभियोजक, डीग भरतपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, अलवर	श्री अशोक भारद्वाज के स्थान पर
6.	श्री राजकिशोर बृजवासी	अपर लोक अभियोजक, रामगंजमण्डी, कोटा	विशिष्ट लोक अभियोजक, न्यायालय एससी/एसटी, राजसमन्द	रिक्त पद पर
7.	श्री डायमण्ड सिंह	अपर लोक अभियोजक, ब्यावर, अजमेर	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, भीलवाड़ा	सुश्री शोभारानी के स्थान पर

क्रम संख्या 2 व 3 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छिक हैं, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
7. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर